आप.प्र.क.: 101 / 2015

<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम् श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 101 / 2015

संस्थित दि: 06 / 02 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
विरूद	
देवलाल पिता घुनारीराम कुम्भकार, उम्र 26 साल, जाति कुम	हार,
निवासी रेंगाखार थाना रेंगाखार जिला कबिरधाम (छतीसगढ़	·)आरोपी

-<u>:: निर्णय ::</u>-

(आज दिनांक 06/02/2015 को घोषित किया गया)

- आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस–2), 338 एवं (01) मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 04. 01.2015 को समय 08:00 बजे ग्राम साखा थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.08-आर.0188 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं झूनाबाई व देवलाल को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा कोमलसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की व उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलाते हुये पाये गये।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी कोमलसिंह ने आरक्षी (02)केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 04.01. 2015 को शाम के 08:00 बजे उसकी पत्नी झूनाबाई के साथ खेत से घर आ रहा था कि ग्राम साखा बस्ती में बजरू धुर्वे के घर के सामने मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.08—आर.

आप.प्र.क.: 101/2015

0188 का चालक अपनी मोटरसायिकल को बिरसा तरफ से तेजगित एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और उसे तथा उसकी पत्नी झूनाबाई को पीछे से टक्कर मार दी। फिरयादी की रिपोर्ट पर से मोटरसायिकल कमांक सी.जी.08—आर.0188 के चालक के विरुद्ध अपराध कमांक 01/15 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस—2), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 04.01.2015 को समय 08:00 बजे ग्राम साखा थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन होण्डा मोटरसायकिल कमांक सी. जी.08—आर.0188 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन होण्डा मोटरसायिकल क्रमांक सी.जी.08—आर. 0188 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर झूनाबाई व देवलाल को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.08—आर. 0188 को उपेक्षा एवं उतावलेपनपूर्वक चलाकर कोमलसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित

की ?

(4) क्या आरोपी इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन होण्डा मोटरसायकिल कमांक सी.जी.08—आर. 0188 को बिना बीमा कराये चलाते हुये पाये गये ?

–:: <u>सकारण – निष्कर्ष</u> ::–

आप.प्र.क.: 101/2015

विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

- (05) प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (06) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस–2), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (07) आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस—2), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस—2), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- (08) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछ्यापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (09) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार रूपये) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337(काउन्टस-2) के आरोपी में प्रत्येक आहत के लिये 500/- (पांच. सौ रूपये) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोपी में 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

//04// आप.प्र.क.: 101/2015

अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.08-आर.0188 (10) एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे 🍂

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर,जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

